दिनांक–12.11.2021 को इंटर्नशिप करने से सम्बन्धित इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए विषय एवं शर्तों का निर्धारण करने हेतु आयोजित बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः–

1. श्री हिमांशु शेखर चौधरी, अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।
2. श्री उपेन्द्र नारायण उराँव, वरीय सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।
3. श्री हलधर महतो, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।
4. डॉ0 रंजना कुमारी, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।
5. श्री संजय कुमार, सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।
6. श्री नरेश प्रसाद केवट, अवर सचिव, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

अध्यक्ष द्वारा उपस्थित सदस्यों के स्वागत के साथ बैठक प्रारम्भ की गई। आयोग में इंटर्नशिप करने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए विषय एवं शर्तों का निर्धारण अब तक नहीं किया गया है। विमर्शोपरान्त इंटर्नशिप हेतु निम्न शर्तों एवं विषयों का निर्धारण किया गया–

आयोग में इंटर्नशिप करने को इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित विषयः–

1. गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के लिए राज्य और केन्द्र की योजनाओं के कियावन्यन की समीक्षा एवं सुधार के लिए सुझाव।
2. 0–3 साल तक के बच्चों को उपलब्ध कराये जाने वाले पूरक पोषाहार की स्थिति और उसमें सुधार के सुझाव।
3. 3–6 साल के बच्चों को उपलब्ध कराये जाने वाले पूरक पोषाहार की स्थिति और उसमें सुधार के सुझाव।
4. आंगनबाड़ी केन्द्रों में साफ–सफाई और पूरक पोषाहार की गुणवत्ता एवं वितरण का अंतराल और उसकी विशेषता एवं खामियों की समीक्षा और आवश्यक सुझाव।
5. PVTG डाकिया योजना में अनाज के वितरण के समय–अवधि का अध्ययन और लाभुकों को नियमित अंतराल में अनाज प्राप्त हो, इससे सम्बन्धित आवश्यक सुझाव।
6. डाकिया योजना के तहत् पैकेजिंग की व्यवस्था एवं वितरण सम्बन्धित प्रक्रिया एवं इसे सरल बनाने के सम्बन्ध में सुझाव।
7. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत् लाभान्वित दिव्यांग जनों को डाकिया योजना का लाभ मिल पा रहा है कि नहीं ? अन्य चुनौतियाँ क्या हैं ?

8. वन नेशन वन राशन कार्ड को सहज–सरल बनाकर इसके सफलता में आने वाली बाधाओं को चिन्हित करना और उन बाधाओं को दूर करने के संबंध में सुझाव देना।
9. जनवितरण प्रणाली में यदि कोई खामियाँ हैं, तो उसे चिन्हित करना और खामियों को दूर करने के लिए आवश्यक सुझाव देना।
10. राज्य के सभी जिलों का अध्ययन कर कुपोषण से प्रभावित जिलों की क्रमवार सूची बनाना। सबसे ज्यादा कुपोषण से प्रभावित 5 जिलों का विशेष अध्ययन कर कुपोषण समाप्त करने के लिए उठाये जाने वाले प्रशासनिक और सामाजिक कदमों के विषय में सुझाव देना।
11. SHG एवं व्यक्तिगत जन वितरण प्रणाली दुकानों का तुलनात्मक अध्ययन।
12. मध्याह्न भोजन हेतु संचालित centralized किचन की गुणवत्ता एवं लाभ पर अध्ययन।
13. कुपोषण उपचार केन्द्र को child friendly बनाने, occupancy rate बढ़ाने तथा अन्य सुधारात्मक सुझाव।
14. मध्याह्न भोजन की वस्तुस्थिति/विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिका।
15. कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार के द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय में दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता का अध्ययन।
16. कस्तुरबा आवासीय विद्यालय की बालिकाओं (किशोरियों) को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता की जाँच एवं अध्ययन।
17. जननी सुरक्षा योजना के तहत् स्वास्थ्य विभाग, झारखण्ड द्वारा लाभार्थियों को दी जाने वाली राशि हस्तांतरण की प्रक्रिया एवं इसकी वस्तुस्थिति की जानकारी।
18. जनवितरण प्रणाली दुकानदारों को प्राप्त हो रहे कमीशन की राशि के feasibility का अध्ययन।
19. कुपोषण उपचार केन्द्र पर माताओं को भोजन हेतु मिलने वाली राशि पर अध्ययन एवं इसके उपयोग पर सुझाव।
20. राज्य में विभिन्न स्तरों पर गठित सतर्कता समिति की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत् भूमिका एवं उसके प्रभाव का अध्ययन।

आयोग में इंटर्नशिप करने हेतु आवश्यक शर्तें:–

1. इंटर्नशिप के लिए रूची रखने वाले सभी छात्र–छात्राओं को अपने संस्थान के माध्यम से आवेदन सदस्य सचिव, राज्य खाद्य आयोग को प्रेषित करना होगा।
2. सदस्य सचिव, अध्यक्ष की सहमति के बाद ही संस्थान को अपने सहमति या असहमति से अवगत करायेंगे।

3. इंटर्नशिप व्यक्तिगत या छात्र–छात्राओं के समूह मिलकर भी कर सकते है। इसके लिए आयोग से पूर्व सहमति लेना अनिवार्य होगा।
4. इंटर्नशिप किस विषय पर किया जायेगा, यह आयोग तय करेगा। आयोग द्वारा तय किये गये विषयों पर इच्छुक अभ्यर्थी यदि इंटर्नशिप करना चाहेगें तो उनको निर्धारित विषयों पर इंटर्नशिप करने की विधि और प्रारूप का ड्राफ आयोग को भेजना होगा। उसके बाद आयोग अपनी सहमति प्रदान करेगा।
5. आयोग इंटर्नशिप करने वाले छात्र–छात्राओं को आर्थिक या लोजिस्टीक सपोर्ट नहीं करेगा। इंटर्नशिप करने वाले छात्र–छात्राओं को हर प्रकार के खर्च खुद वहन करना होगा।
6. आयोग द्वारा सहमत विषय, विधि और प्रारूप के अनुसार इंटर्नशिप करने वाले छात्र–छात्राओं को आयोग सर्टिफिकेट प्रदान करेगा।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

18/11/2021

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।